संo–33/XXVIII (3) 2005–202/2004

प्रेषक,

अर्जुन सिंह
संयुक्त सचिव
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

महानिदेशक
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तरांचल देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग–3 देहरादूनः दिनांक 05 जनवरी 2005

विषयः मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय हरिद्वार के भवन निर्माण कार्य हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0–79/1/सी.एम.ओ.आफिस/105/2001/27585 दिनांक 16.11.2004 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय द्वारा वित्तीय वर्ष 2004–2005 में मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय हरिद्वार के भवन निर्माण कार्य को हेतु संलग्नकानुसार रू0 1,20,62,000=00 (रू0 एक करोड़ बीस लाख बासठ हजार मात्र)की लागत पर प्रशासनिक /वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुये चालू वित्तीय वर्ष 2004–2005 में व्यय हेतु रू0 50,00,000–00 (रू0 पचास लाख मात्र)धनराशि की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1– एकमुश्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व विस्तृत प्रस्ताव बनाकर सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त कर लें।

2– कार्य कराते समय लो0 नि0 विभाग के स्वीकृत विशिष्टियों के अनुरूप कार्य करायें तथा कार्य की गुणवत्ता पर विशेष बल दिया जाये। कार्य की गुणवत्ता का पूर्ण उत्तरदायित्व निर्माण एजेन्सी का होगा।

3– भूमि का कब्जा प्राप्त होने के पश्चात ही उक्त धनराशि तत्काल आहरित की जायेगी तथा तत्पश्चात् क्षेत्रीय प्रबन्धक उ0प्र0 सी.एण्ड.डी.एस. जल निगम उत्तरांचल को उपलब्ध कराई जायेगी। स्वीकृत धनराशि का उपभोग प्रत्येक दशा में इसी वित्तीय वर्ष के भीतर सुनिश्चित किया जायेगा।

4– स्वीकृत धनराशि के आहरण से संबंधित वाऊचर संख्या एवं दिनांक की सूचना तत्काल उपलब्ध कराई जायेगी तथा धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित प्राविधानों में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

5– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत / अनुमोदित दरों में जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से भी ली गयी हो कि स्वीकृति नियमानुसार कम से कम अधीक्षण स्तर के अधिकारी का अनुमोदन आवश्यक होगा।

6– कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

7– कार्य पर उतना ही व्यय किया जायेगा जितना कि स्वीकृत मानक हैं। स्वीकृत मानक से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

8– एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

9– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें ।

10— कार्य करने से पूर्व स्थल का भली भाँति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भुगर्भवेत्ता के साथ आवश्य कर लें। निरीक्षण के पश्चात् स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।

11— आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाए, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाए। निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से परीक्षण करा लिया जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाए।

12— स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति आख्या प्रत्येक दशा में माह की 07 तारीख तक निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराई जायेगी। यह भी स्पष्ट किया जाएगा कि इस धनराशि से निर्माण का कौन सा अंश पूर्णतया निर्गत किया गया है।

13— निर्माण के समय यदि किसी कारणवश यदि परिकल्पनाओं/विशिष्टियों में बदलाव आता है तो इस दशा में शासन की स्वीकृति आवश्यक होगी ।

14— निर्माण कार्य से पूर्व नींव के भू–भाग की गणना आवश्यक है, नींव के भू–भाग की गणना के आधार पर ही भवन निर्माण किया जाय।

15— उक्त व्यय वर्ष 2004–05 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या –12 के लेखाशीर्षक 4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय– आयोजनागत –01 शहरी स्वास्थ्य सेवायें –110 अस्पताल तथा औषधालय–15–सी0एम0ओ0 हरिद्वार के कार्यालय भवन का निर्माण 24–वृहत निर्माण कार्य अन्तर्गत के मांगे डाला जायेगा ।

16— यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0–1092/वित्त अनुभाग–2/2004 दिनांक 2.2.2005 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे है ।

भवदीय,

(अर्जुन सिंह)
संयुक्त सचिव

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1— महालेखाकार, उत्तरांचल, गाजरा देहरादून ।
2— निदेशक, कोषागार, उत्तरांचल ,देहरादून।
3— वरिष्ट कोषाधिकारी, देहरादून।
4— जिलाधिकारी, हरिद्वार।
5— मुख्य चिकित्साधिकारी ,हरिद्वार ।
6— क्षेत्रीय प्रबन्धक उ0प्र0 सी.एण्ड.डी.एस. निगम उत्तरांचल।
7— निजी सचिव मा0 मुख्य मुख्यमंत्री।
8— वित्त अनुभाग–2/नियोजन विभाग/एन.आई.सी.।
9— गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(अर्जुन सिंह)
संयुक्त सचिव।